

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर।

क्रमांक एफ 3 (C) () राईस/अका./आ.वि./प्रवेश/2020/8883

दिनांक 01/10/2020


आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 8537 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर 2020 निर्धारित की गई थी।

आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की समीक्षा की गई, समीक्षा के दौरान प्रवेश में कमी को देखते हुए आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 की जाती है।


आवासीय विद्यालयों की वरीयता सूची निम्नानुसार जारी की जावेगी:-

क्र.स.	जारी होने वाली सूची	प्रस्तावित नियत दिन क
1	आठवीं सूची	15 अक्टूबर 2020
2	नवीं सूची	31 अक्टूबर 2020


(डालचन्द वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (राईस)

क्रमांक एफ 3 (C) () राईस/अका./आ.वि./प्रवेश/2020/8884-384 दिनांक 01/10/2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महादय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
- निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर (संबंधित)
- संयुक्त निदेशक (I.T.) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान करने का श्रम करावें।
- उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
- उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास।
- प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय विद्यालय समस्त।
- आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (राईस)

www.rajsevak.com